



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-3888-औ०सं०-17/पाकालि/2023-11(28)ए०एस०/04 (VOL-2015/CGHS)

दिनांक: 25 अगस्त, 2023

विषय:- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित सी०जी०एच०एस०-2014 की मानक दरों को संशोधन कर कारपोरेशन में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के आदेश संख्या-3330-औसं/2018-11(28)ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-S.11045/36/2012-CGHS(HEC) दिनांक 01.10.2014 में उल्लिखित सी०जी०एच०एस०-2014 की दरों/पैकेज दरों को मानक (Bench Mark) मानते हुए उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, डिस्काम एवं केस्को के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने हेतु लागू किया है।

उपर्युक्त के अनुक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं०-F No Z15025/28/2022/DIR/CGHS Dated 12-04-2023 द्वारा संशोधित सी०जी०एच०एस० की दरों को एतद्वारा कारपोरेशन में लागू किया जाता है, जो निम्नवत् हैं:-

- Consultation fee-**
OPD Consultation Rs. 350/-
IPD Consultation Rs. 350/-
(for both NABH and Non-NABH accredited HCOs)
- ICU Charges -**
Rs 5400/- for all categories of ward entitlement
(General Ward/ Semi-private ward/Private ward)
(For non-NABH accredited hospitals the charges shall be 15% less)
ICU charges are inclusive of Room Rent.
- Room Rent -**
General ward Rs. 1500/-
Semi-private ward Rs. 3000/-
Private ward Rs. 4500/-
(For both NABH and Non NABH accredited HCOs)

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3330-औसं/2018-11(28) ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी। यह आदेश निर्गत होने से पूर्व के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे कारपोरेशन द्वारा पूर्व निर्धारित दरों/नीति के अनुसार निस्तारित किये जायेंगे तथा पूर्व में निस्तारित किये जा चुके प्रकरण पुनरुद्घाटित नहीं किये जायेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं।

अध्यक्ष

संख्या:-3888-औ०सं०-17/पाकालि/2023 तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

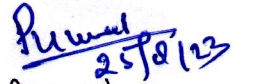
- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ/एस०एल०डी०सी० लि०, विभूति खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।

P. Kumar

क्रमशः 2/-

3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल/ वाराणसी/पश्चिमांचल/मेरठ/ दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिकासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
10. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. कम्प्यूनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. अधिकासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन विस्तार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं0-F No. Z15025/28/2022/DIR/CGHS Date 12-04-2023 (छायाप्रति संलग्न) कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. प्रबन्धकगण- सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
17. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
18. कट फाइल ।

भवदीय,



(प्रदीप कुमार)

उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)

F No Z15025/28/2022/DIR/CGHS
Govt. of India
Min. of Health & Family Welfare
Department of Health & Family Welfare
Directorate General of CGHS

R K Puram Sector-13, New Delhi.
Dated the 12th April, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of Consultation Fee, Room Rent and ICU charges for All Health Care Organizations (HCOs) empanelled under CGHS

I am directed to convey the revision of the charges for Consultation fee, Intensive Care Unit and Room rent reimbursable in respect of treatment rendered to CGHS beneficiaries in all HCOs empanelled under CGHS. The revised rates in respect for the aforementioned items are as under:

- a) **Consultation fee -**
 - OPD Consultation Rs. 350 /-
 - IPD Consultation Rs. 350/-
 - (For both NABH and Non-NABH accredited HCOs)
- b) **ICU Charges -**
 - Rs 5400/- for all categories of ward entitlement
 - (General Ward/Semi-private ward /Private ward)
 - (For non-NABH accredited hospitals the charges shall be 15% less)
 - ICU charges are inclusive of Room Rent.
- c) **Room Rent-**
 - General ward Rs.1500/-
 - Semi-private ward Rs.3000/-
 - Private ward Rs. 4500/-
 - (For both NABH and Non-NABH accredited HCOs)

The other terms and conditions of empanelment shall remain unchanged.

These revised rates shall be applicable from the date of issue and shall be valid till further orders.

This issues with the approval of Competent Authority and concurrence of Integrated Finance Division ,
Ministry of H&FW vide CD No.3419 dated 27.03.2023.


(Dr. Manoj Jain)
Director, CGHS

To

1. All empanelled HCOs through Additional Director of concerned City.
2. The Secretary, Department of Pensions and Pensioners' Welfare.
3. All Ministries / Departments, Government of India

4. Addl. CEO, National Health Authority
5. Estt.I/ Estt.II/ Estt.III/ Estt.IV Sections, Ministry of Health & Family Welfare
6. Admn.I / Admn.II Sections of Dte.GHS
7. Addl. Director, CGHS(HQ) / Addl.DDG(HQ)/Addl. Directors of CGHS Cities
8. Rajya Sabha / Lok Sabha Secretariat
9. Registrar, Supreme Court of India /Punjab & Haryana High Court, Chandigarh
10. Under Secretary, U.P.S.C.
11. Under Secretary Finance Division
12. Deputy Secretary (Civil Service News), Department of Personnel & Training, 5th Floor Saradar Patel Bhawan, Sansad Marg , New Delhi
13. PPS to AS&MD, NRHM / AS (H) /DGHS
14. Secretary, Staff Side, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi
15. Office of the Comptroller & Auditor General of India, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi
16. All Offices / Sections / Desks in the Ministry
17. Nodal Officer, MCTC, CGHS with a request to upload a copy of OM on CGHS Web-site

Copy to

PPS to Secretary, HFW
PPS to SS&DG, CGHS, MoHFW
PPS to JS, CGHS, MoHFW

Copy for information to

PS to Hon'ble HFM
PS to Hon'ble MOS